न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 79 / 2017

ताराचन्द शर्मा एडवोकेट राज0उच्च न्यायालय जयपुर 58 बी ब्लॉक जयपुर राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 13.12.2017

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

आवेदक ने 28.07.2015 को स्कूल संचालन व भवन हेतु जमीन आवंटन का प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया को दिया,जिस पर की गई कार्यवाही के बारे मे सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दिनांक 05.10.2015 को किया जिस पर सूचना प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.08.2015 को उपखण्ड कार्यालय मे प्रेषित किया जा चुका है। अतः पत्र कमांक 8094 दिनांक 05.08.2015 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को पत्र कमांक 1810 दिनांक 13.11.2017,1902 दिनांक 22.11.2017 व 1985 दिनांक 30.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र कमांक 1103 दिनांक 23.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र को उनके पत्र कमांक 2591 दिनांक 24.08.2015 से तहसीलदार उनियारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है,परन्तु अपीलार्थी को इस बाबत सूचित नही किया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा तथा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक